न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी—दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 11/2025(जी.सी.एम.एस. नं. 2025/79) दायर दिनांक 02.04.2025

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना सूरतगढ़ (शहर)

——प्रार्थी

बनाम

जसविन्द्र सिंह पुत्र जेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जीबी पुलिस थाना श्रीविजयनगर

——अप्रार्थी

उपस्थितः—

1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी अधिवक्ता अप्रार्थी।

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 06(ए)

:: निर्णय :: दिनांकः— 04.07.2025

1. यह इस्तगासा थानाधिकारी, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर द्वारा अन्तर्गत धारा 6—ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।
2. दिनांक 19.02.2011 के वक्त 3.20 पीएम पर श्री हंसराज एएसआई मय हमराही मुलाजमान के बहवाले रवानगी रपट सं. 1214 तारीख हाजा का गया हुआ वापिस आया किता फर्द मुर्तिबा श्री केसरी चंद जांदू **RPS DYSP** वृत सूरतगढ मय बरामदशुदा वजह सबूत व गिरफ्तारशुदा तुलजिम के बदी मजमून "फर्द जब्ती बारह गैस सिलेण्डर भारत कम्पनी के एक टैम्पू **TATA S NO. RJ13- GA 2494** अभियुक्त जसविन्द्र सिंह दिनांक 19.02.2011 वक्त 1.15 पीएम आज दिनांक 19.02.2011 को वक्त 12.10 पीठ वृताधिकारी सूरतगढ केसरीचंद जांदू आरपीएस सी.ओ. सूरतगढ को जरिये टेलीफोन श्री हंसराज एएसआई पीएस सूरतगढ ने सूचना दी कि आज दिनांक 19.02.2011 को श्री लालचंद कानि. 389 सुखवीर कानि 939 जीप सरकारी डीआर बलवंत सिंह के 11.05 एएम पर थाना से वास्ते करने गश्त व वाहन चेंकिग हेतु मानकसर चौराहा रवाना हुये थे वा मानकसर चौराहा पहुंच वाहनों की चैंकिग की जा रही थी। चैंकिग के दौरान एक टैम्पू में बारह गैस सिलेण्डर भरे हुये भारत कम्पनी के अवैध रूप से ले जाते हुये टैम्पू को रोका गया। आप कार्यवाही हेतु पहुंचे। इस पर वक्त 12.20 पीएम पर मन वृताधिकारी केसरी चंद जांदू आरपीएस सीओ सूरतगढ मय श्री लक्ष्मण सिंह एचसी महावीर प्रसाद कानि. जीप सरकारी डीआर जसकरण सिंह के मुताबिक इतला रवाना मानकसर चौराहा को हुआ। गश्त करते हुये वक्त 12.40 पर माणकसर चौरहा पर पहुंचा तो चौराहा पर हंसराज एएसआई मय मुलाजमान द्वारा एक टैम्पू **TATA S NO. RJ13- GA 2494** जिसमें ऑयल तेल व कपड़े की गाढ वगैरा सामान के नीचे गैस के सिलेण्डर भरे हुये सीलबंद व उसके चालक को रोके हुये मिले मन वृताधिकारी द्वारा चौराहा पर आस पास के दुकानदार व आने जाने वाले राहगीरों को मौतबीर हेतु सुखवीर कानि को भेजा गया मगर दुकानदारों व आने जाने वालों ने समय अभाव का कहा जिस पर साथी मुलाजमान में से श्री हंसराज एएसआई व लक्ष्मण सिंह एचसी को मौतबीर रख अैम्पू **TATA S NO. RJ13- GA 2494** के डाला को चैक किया गया तो डाला मं ऑयल तेल कम्बल की गाढ वगैरा सामान के नीच बारह गैस के भरे हुये सीलबंद सिलेण्डर भारत कम्पनी के मिले। टेम्पू चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जसविन्द्र सिंह पुत्र जेजर सिंह जाति जटसिख उम्र 31 साल निव9ासी 39 जी.बी़ पीएस विजयनगर बताया व बताया कि उक्त वाहन टैम्पू **TATA S NO. RJ13- GA 2494** का चालक होना बताया। जसविन्द्र सिंह से टैम्पू भरे सिलेण्डरों को ले जाने व कब्जा में रखने बाबत टी.पी. या परमिट बाबत पूछा गया तो जसविन्द्र सिह ने बताया कि मैं नेमचंद पुत्र पारूमल जाति सिंधी नि. वार्ड नं0 3 विजयनगर ने आज सुबह मेरे को अपने घर से भारत कम्पनी के बारह बाली गैस सिलेण्डर व टैम्पू टाटा एस **RJ13- GA 2494** देकर सूरतगढ भेजा था। सूरतगढ भेजते समय मेरे को 6000/— रूपये दिये थे वा सूरतगढ भारत गैस एजेन्सी से है सिलेण्डर लाने का कहा था जो लेकर मैं आज सुबह आया व सूरतगढ आकर एजेन्सी मैनेजर संदीप कुमार गौदाराम पर काम करने वाले जगदीश से मिला उनको 12 सिलेण्डरों की पैमेन्ट 500 रूपये प्रत्येक सिलेण्डर के हिसाब से दी [illegible] बारह सिलेण्डर भरे हुये दिये जो मैं लेकर जा रहा हूँ मैं. सिलेण्डर मैं नेमचंद सिंधी [illegible] है। इनकी बाबत अपने पास कोई टी.पी. परमिट या कागजात नहीं होना बताया सिलेण्डरो [illegible] जरी [illegible] कब्जा किया गया गैस सिलेण्डर भरे हुये भारत कम्पनी के जिनमें 14.2 [illegible] ऊपर लिखा है गैस सि[illegible] सीलबंद है, जिनके सीरियल नं. को चैक किया 1. **S.no 422920S** 2 **S.no 019149P** 3. **S.no** [illegible]**561E** 4. **Sno. 557275 S** 5. **S.no 275612T** 6.**S.no. 419144 E** 7. **S.no. 625621T** 8 **S.no. 3961575** 9.**S.no. 163597**[illegible] **S.10. S.no. 080508T 11. 394899 S 12. 63547 S** जिन[illegible] [illegible]सविन्द्र सिंह द्वारा गैस एजेन्सी भा[illegible] कम्पनी सुरतगढ़ से 500 रुपये प्रत्येक स्लैण्डर के हिसाब से नेमीचन्द सिंधी नि.विजयनगर के लिए लेकर जाना बताया जिनका उक्त कृत्य Lique fied Petroleum Gas (regulation of Supply and Distribution) order 2000 Rajasthan, Petroleum Products Cmantenace of production storate and supply order 1999 तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अपराध होना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ - 335804

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.07.25 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पाया जाता है अतः उपरोक्त भरे हुये भारत कम्पनी के 12 गैस सिलेन्डरों को व गैर सवारी प्रयोग वाहन टैम्पू TATA S NO- RJ13- GA 2494 को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द हाजा कब्जा पुलिस में लिया गया वाहन टैम्पू में कैबीन को चैक किया कैबीन में टैम्पू के कागजात टैम्पू RJ 13 GA 2494 आर. सी जो नेमघट सिंधी के नाम है व डी.एल. नेमचंद व वाहन के इन्सोरेन्स की प्रति मिली जो बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया व इन कागजात के साथ दो भारत गैस कम्पनी के पास बुक एक पास बूक गुरमेल सिंह पुत्र करतार सिंह नि वार्ड नं. 29 सुरतगढ़ लिखा है जिसमें 30.1.11 के बाद की कोई इन्ट्री नही है। दुसरी पास बूक रविन्द्र कुमार पुत्र नरेश कुमार नि. सुरतगढ़ के नाम है जिसमें लास्ट इन्ट्री 22.1.2011 की है दोनो पास बूको को भी बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया वाहन टैम्पू RJ1GA2494 के इन्जन गे. 275ID105]SZ202232 व चैसिस न. 445051 JSZA उक्त वाहन टैम्पू TATA SRJ13-GA 2494 में सिलेन्डरों के साथ अन्य सामान मोर आयल वगैरा अन्य सामान है जिसको टैम्पू से उतरवाया जाकर जरिये फर्द जुदागाना कब्जा पुलिस में लिया गया। वाहन चालक जसविन्द्र सिंह पुत्र नैजर सिंह जाति जटसिख उम 31 साल नि. 39 जी.बी. पीएस श्रीविजयनगर को जरिये फर्द जुदागाना गिरफ्तार किया गया फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर उपस्थित को पढ़कर सुनाई सुन समझ सही होना मान अपने अपने हस्ताक्षर करते है. आईन्दा मूल फर्द व गिरफ्तारशुदा मुल्जिम व वजह सबूत श्री हंसराज एएसआई के साथ थाना भिजवाया जाकर अभियोग दर्ज करवाया जावेगा। एसडी. लालचन्द, महावीर, जसविन्द्र, हंसराज लक्ष्मण सिंह एसडी केसरीचन्द जांदु सीओ वृत सुरतगढ़ कैम्प माणकसर चौराहा लेकर आया व पेश किया फर्द पर मुकदमा नं. 68/2011 धारा 3/7 E.C.ACT में दर्ज कर अनुसंधान तत्कालीन एसएचओ रिछपाल सिंह सीआई द्वारा शुरु किया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर जरिये चार्जशीट नम्बर 118 दिनांक 30.04.2011 को चालान न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, श्री गंगानगर में दिनांक 18.06.2011 को पेश किया गया, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.01.2022 मुकर्र है। मुकदमा हाजा में जब्तशुदा 12 गैस सिलैण्डर भरे हुए भारत कम्पनी के मालखाना में पड़े है, तथा ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे मालखाना में आगजनी जैसी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है, तथा अधिक समय तक भण्डारण किया जाना पैट्रोलियम उत्पाद भण्डारण ओर प्रदाय का रख रखाव आदेश 1999 के 02 (1) का उल्लंघन है। अतः इस्तगासा हाजा अंतर्गत धारा 06 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश कर निवेदन है कि मकुदमा हाजा में जब्तशुदा वजह सबूत 12 गैस सिलैण्डर भरे हुए भारत कम्पनी को अंतर्गत धारा 06 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात कर निस्तारण के आदेश प्रदान फरमाये।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ड्राइवर पेशा व्यक्ति है जो मासिक तनख्वाह पर नेमिचंद जाति सिंधी निवासी विजयनगर का टैम्पो चलाता था। नेमीचन्द के आदेश से ही उसकी गाड़ी में 12 सिलेण्डर उसने मजदुरों से रखवाये थे और मुझे निर्देश दिया था कि उक्त सिलेण्डर मालिक नेमीचन्द के घर पहुंचाने है। पुलिस द्वारा उक्त सिलेण्डर जब्त कर लिये गये है। अप्रार्थी का सिलेण्डरों से कोई लेना–देना नहीं है तथा ना ही अप्रार्थी सिलेण्डरों की ब्लैकमेलिंग करता है। अप्रार्थी गाडी की ड्राईवरी कार्य करता है। अप्रार्थी के विरूद्ध आज तक कोई आपराधिक मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं हैं अप्रार्थी मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा है। उक्त जब्त किए गए सिलेण्डर राजसात कर दिये जावे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध चल रही कार्यवाही समाप्त करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब असन्तोषप्रद हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का भण्डारण किये जाने के संबंध में किसी प्रकार को कोई अधिकार पत्र/अनुमति पत्र/लाइसेंस अथवा अन्य सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हो कि उसे उक्त कृत्य करने हेतु अनुमति प्रदत है। उक्त परिवाद में जब्तशुदा भारत कम्पनी के 12 गैस सिलैण्डर भरे हुए मालखाना में पड़े है, तथा ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कारित होती है, तथा अधिक समय तक भण्डारण किया जाना पैट्रोलियम उत्पाद भण्डारण ओर प्रदाय का रख रखाव आदेश 1999 के 02 (1) का उल्लंघन है। अप्रार्थी जसविन्द्र सिंह पुत्र जेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जीबी पुलिस थाना श्रीविजयनगर का उक्त कृत्य Lique fied Petroleum Gas (regulation of Supply and Distribution) order 2000 Rajasthan, Petroleum Products Cmantenace of production storate and supply order 1999 तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। अतः हम जब्तशुदा भारत कम्पनी के भरे हुए 12 गैस सिलेण्डर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] टैम्पू में भण्डारण किये गये भारत कम्पनी के भरे हुए 12 गैस सिलेण्डर को राजसात कर[illegible] आ[illegible] दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पाल[illegible] जावे।

निर्णय आज दिनांक 4/7/[illegible] को मेरे द्वारा टंकि[illegible]वाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.07.25 15:41:22 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ – 3355 14

Scanned with OKEN Scanner